

क्षेत्रीय कार्यालय  
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल-2, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़

RPCB/RO KSG/PUB-46/ 1198

Date: 14.07.2020.

Shri Govind Goyal,  
B-42, RIICO Housing Colony  
Ajmer road, Beawar,  
District- Ajmer

Sub.: - Public Hearing for the grant of Environmental Clearance for  
Wallstonite & Feldspar Mining Project, ML no. 73/2002, Village  
Bhagwanpura, Tehsil- Beawar, District- Ajmer.

Reference:- Office of district collector , Ajmer letter no. 14999 dated  
10/07/2020

Sir,

In reference to above please find enclosed a public notice to be published in one major national daily news paper (All editions) and one regional daily news paper (Hindi-All editions) in any case on or before **26/07/2020**. The news paper cutting are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at **Rajeev Gandhi Seva Kendra, Beawar Khas, Tehsil Beawar, District Ajmer at 11.00 AM on 25/08/2020** for the environmental clearance of your project.

You are also requested to make available copies of EIA/EMP report and executive summary report in Hindi and English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public notice.

Yours sincerely,

*Sd/-*  
(Rakesh Gupta)  
Regional Officer

Copy to following for information & necessary action :-

1. The Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur
2. The District Collector, Ajmer in compliance to your letter no. 14999 dated 10/07/2020.
3. Analyst Cum Programmer, RPCB, Jaipur to display public notice on website of Board.

*Sd/-*  
Regional Officer



क्षेत्रीय कार्यालय

## राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एसपीएल-2, रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़

राप्रनिम/क्षैका किश/राज/पीयूबी-46/


दिनांक :

### पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री गोविन्द गोयल द्वारा वॉलस्टोनाईट एवं फ़ैल्डस्पायर खनन परियोजना, खनन पट्टा संख्या 73/2002, क्षेत्रफल 5.0 हेक्टेयर निकट ग्राम-भगवानपुरा, तहसील-ब्यावर, जिला-अजमेर, (राजस्थान) की खनन उत्पादन क्षमता 23296 टन प्रतिवर्ष हेतु खनन परियोजना से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि श्री गोविन्द गोयल, ग्राम-भगवानपुरा, तहसील-ब्यावर, जिला-अजमेर ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
3. उक्त परियोजना से सम्बन्धित EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-
  1. जिला कलक्टर, अजमेर।
  2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
  3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, 04, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
  4. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
  5. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला-अजमेर।
  6. कार्यालय खनिज अभियंता, खान व भू-विज्ञान विभाग, ब्यावर, जिला-अजमेर।
  7. तहसील ब्यावर, जिला-अजमेर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ/विकास/2020/14999 दिनांक 10.07.2020 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 25/08/2020 को प्रातः 11.00 बजे, स्थान- राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ब्यावर खास, तहसील ब्यावर, जिला-अजमेर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित आपेक्ष/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़ को भी दिये जा सकते हैं।

  
(राकेश गुप्ता)  
क्षेत्रीय अधिकारी